सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**फा. सं: NCST/ATY-3152/MH/7/2025-RU-I** दिनांक: 05/05/2026.

**कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,**
जिला-पालघर,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.palghar@maharashtra.gov.in

**पुलिस अधीक्षक,**
जिला-पालघर,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
प्रशासनिक भवन, मोरेखुरान रोड,
कोलगाँव, पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.palghar@mahapolice.gov.in

**विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत् श्री रघुनाथ महादू वावरे, ग्राम-कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील-डहाणू, जिला-पालघर महाराष्ट्र- 401607 से प्राप्त अभ्यावदेन दिनांक 06.10.2025 के संदर्भ में।**

**महोदय/महोदया,**

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

**संलग्न: यथोपरि.**

**भवदीय**

**(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)**
**निदेशक/Director**
**दूरभाष: 011- 20819839**

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

**श्री रघुनाथ महादू वावरे,**
ग्राम-कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील-डहाणू,
जिला-पालघर महाराष्ट्र- 401607

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

**पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3152/MH/7/2025-RU-I**
**अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I**

**अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत् श्री रघुनाथ महाद्दू वावरे, ग्राम-कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील-डहाणू, जिला-पालघर महाराष्ट्र- 401607 से प्राप्त अभ्यावदेन दिनांक 06.10.2025 पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।**

**सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026**
**सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।**

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:**

आयोग को श्री रघुनाथ महादू वावरे, ग्राम–कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील–डहाणू, जिला–पालघर, महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2025 के अनुसार ग्राम कासा, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट नं. 20/1 (पुराना सर्वे नं. 62 पा.), क्षेत्रफल 0.81.0 हे. भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अभ्यावेदन के अनुसार, उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार एवं क्षेत्रीय कृषिभूमि न्यायाधिकरण, डहाणू द्वारा प्रकरण क्रमांक भा.का./कवि/117/2023 में दिनांक 08.02.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसमें विरोधी पक्ष को आठ दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाकर वादी पक्ष को भूमि का कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि विरोधी पक्ष द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 59 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु किए गए व्यय की वसूली उनसे की जाएगी तथा पुलिस संरक्षण में कब्जा दिलाने हेतु प्रभागीय अधिकारी, कासा को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि उक्त आदेश का शीघ्रातिशीघ्र पालन सुनिश्चित कर उन्हें भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 26.11.2025 को जिला कलेक्टर, पालघर को नोटिस जारी किया गया था, तथापि दिनांक 16.03.2026 तक आयोग को संबंधित प्राधिकारी से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आयोग के नोटिस की अनुपालन उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर कार्यालय, पालघर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि डॉ. नरेंद्र माने, तहसीलदार और याचिकाकर्ता उपस्थित रहे।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में उपस्थित तहसीलदार द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी, पालघर का लिखित प्रतिवेदन दिनांक – 13/3/2026 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में राजस्व अभिलेखों, पूर्व आदेशों एवं संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है तथा विभिन्न प्राधिकरणों के स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।

तहसीलदार डहाणू के माध्यम से जांच कराई गई। तहसीलदार डहाणू ने अपने पत्र क्रमांक टेनन्सी/कावि-286/25, दिनांक 10/03/2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

मौजा कासा, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट क्रमांक 20/1 (पुराना सर्वे नं. 62 पै.), क्षेत्र 0.81.0 हेक्टेयर भूमि के 7/12 अभिलेख के अनुसार कब्जेदार के रूप में केसरी महादू वावरे, रघुनाथ महादू वावरे, काशीनाथ महादू वावरे तथा गुलाब शांताराम घाटाळ के संयुक्त नाम दर्ज हैं। साथ ही 7/12 उतारे में यह भी उल्लेख है कि यह भूमि उच्च अधिकारी समिति की शर्तों पर तथा महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम 1966 की धारा 36 एवं 36A के अंतर्गत हस्तांतरण के लिए प्रतिबंधित है। संबंधितों को यह भूमि नियंत्रित सत्ता प्रकार के तहत उच्च अधिकारी समिति की सिफारिश पर प्राप्त हुई है।

महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम 1966 की धारा 36 एवं 36A के अंतर्गत आने वाली गट नं. 20/1, क्षेत्र 0.81.0 हेक्टेयर भूमि श्री रघुनाथ महादू वावरे एवं अन्य, निवासी कासा, पाटिलपाड़ा, तहसील डहाणू की है। इस भूमि पर गैर-आदिवासी लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भूमि पुनर्स्थापना अधिनियम 1974 (कानून क्र. 14/1975) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पर तहसील कार्यालय डहाणू में सुनवाई कर आदेश क्रमांक टेनन्सी/कावि-117/2023, दिनांक 08/02/2024 को पारित किया गया।

उक्त आदेश के अनुसार मौजा कासा, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट क्रमांक 20/1 (पुराना सर्वे नं. 62 पै.), क्षेत्र 0.81.0 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करने वाले पक्षकारों को आदेश प्राप्ति से आठ दिनों के भीतर अपना अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया। अन्यथा महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम 1966 की धारा 59(B) के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा इसके लिए होने वाला खर्च संबंधितों से वसूल किया जाएगा।

हालांकि, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर विपक्षी पक्ष श्रीमती अनिता बापू महाकाल एवं अन्य 35 व्यक्तियों ने माननीय दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पालघर के न्यायालय में नियमित वाद क्रमांक 08/2024 दायर किया। इस वाद का निर्णय दिनांक 23/06/2025 को दिया गया, जिसमें वादियों का दावा खारिज कर दिया गया।

उक्त निर्णय के विरुद्ध वादियों ने पुनः माननीय दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पालघर के न्यायालय में नियमित वाद क्रमांक 23/2025, दिनांक 18/07/2025 को दायर किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

**आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं माननीय आयोग द्वारा की गई हैं :**

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1. जिला कलेक्टर पालघर आवेदक श्री रघुनाथ महादू वावरे, ग्राम–कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील–डहाणू, जिला–पालघर, महाराष्ट्र के स्वामित्व की भूमि जिसका विवरण-

ग्राम कासा, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट नं. 20/1 (पुराना सर्वे नं. 62 पा.), क्षेत्रफल 0.81.0 हे. भूमि पर गैर जनजातियों के कब्जे को महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 के धारा 36 एवं 36 ए प्रकाश में हटाकर आवेदक श्री रघुनाथ महादू वावरे को आधिपत्य सौंपे एवं 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।

2. पुलिस अधीक्षक पालघर आवेदक श्री रघुनाथ महादू वावरे, ग्राम–कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील–डहाणू, जिला–पालघर, महाराष्ट्र के स्वामित्व की भूमि जिसका विवरण-

ग्राम कासा, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट नं. 20/1 (पुराना सर्वे नं. 62 पा.), क्षेत्रफल 0.81.0 हे. भूमि पर गैर जनजातियों के अवैध कब्जे के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की **धारा 3(1)(छ)** के अंतर्गत, एफआईआर दर्ज कर 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)
**अध्यक्ष**
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
********

फाइल. सं. NCST/ATY-3152/MH/7/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने बावत् श्री रघुनाथ महादू वावरे, ग्राम-कासा (पाटिलपाड़ा), तहसील-डहाणू, जिला-पालघर महाराष्ट्र- 401607 से प्राप्त अभ्यावदेन दिनांक 06.10 2025 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अंतर सिह आर्य | माननीय अध्यक्ष | अध्यक्षता | |
| 2. | श्री पूर्णेन्दु कान्त | निदेशक | | |
| 3. | श्री आर. के. दूबे | उप-निदेशक | | |
| 4. | श्री चेतन कुमार शर्मा | अनुसंधान अधिकारी | | |
| 5. | श्री शिव प्रकाश | वरिष्ठ अन्वेषक | | |
| 6. | श्री विवेकानन्द शुक्ला | अन्वेषक | | |

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
पालघर, महाराष्ट्र

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. नरेंद्र माने | तहसिलदार (सा.प्र) जिल्हाधिकारी कार्या. पालघर | 8856831923 | [signature] 16/03/2026 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | दूरभाष नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kailash L. Chaure | Farmer | 9270000559 | 9270000559 |
| 2. | Chetan A. Uradya | Teacher | 9673864362 | [signature] Uradya |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |